

21.5.2018

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबधित
डाक

पत्रांक-2ब0/सड़क0-09-07/2018

08

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- बखरी, सुगौली, साहेबगंज, कांटी, मनेर, सोनपुर, बड़हिया एवं मुरलीगंज।

पटना, दिनांक-21/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹1042.95 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹1042.95 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-64 दिनांक-21/05/18 के आलोक में कुल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड सं०- 02 में चौदनी चौक से अम्बेदकर पथ होते हुए भाया ओमप्रकाश आरा मिल राजेश्वर प्रसाद साह के मार्केट लक्ष्मी चौक होते हुए पूर्व मंत्री स्व० ब्रिज बिहारी प्रसाद गली मुख्य नाला तक नाला निर्माण कार्य।	27.53300	13.76650	13.76650
2		जेल चौक से मालीघाट प्राथमिक विद्यालय वाली सड़क तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138.33100	69.16550	69.16550
योग (क)			165.86400	82.93200	82.93200
3	नगर पंचायत, बखरी	बखरी राईस मिल्स से चन्द्रभागा नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	102.76000	51.38000	51.38000
4	नगर पंचायत सुगौली	नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 04 में समीर मियाँ के घर से हनुमान मंदिर होते हुए डा० कमलेश के घर तक नाला निर्माण कार्य।	31.37900	15.68950	15.68950
5		नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 06 में रेलवे स्टेशन गेट से हॉस्पिटल गेट तक नाला निर्माण कार्य।	16.83100	8.41550	8.41550
6		नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 10 में माई सीन मंदिर से बजरंग धाम चौक तक नाला निर्माण।	20.19500	10.09750	10.09750

lt

7	नगर पंचायत, साहेबगंज	नगर पंचायत साहेबगंज अन्तर्गत वार्ड सं०-03 में सुनिल कुमार के घर से भाग्य नारायण राउत के घर होते हुए सुखनर मढ तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	20.02000	10.01000	10.01000
8		नगर पंचायत साहेबगंज अन्तर्गत वार्ड सं०-06 में माई स्थान से बौउली तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	43.79100	21.89550	21.89550
9	नगर पंचायत, कांटी	नगर पंचायत कांटी अन्तर्गत वार्ड सं०- 04 में रेलवे स्टेशन रोड से लेकर एन०एच० 28 होते हुए वार्ड 08 स्थित मन तक दोनो तरफ आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	163.55600	81.77800	81.77800
10	नगर पंचायत, मनेर	वार्ड सं०- 15 में बैंक ऑफ इंडिया से पोस्ट ऑफिस तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	44.68600	22.34300	22.34300
11	नगर पंचायत, सोनपुर	पी०एन०बी० बैंक से प्रो० वासकित सिंह के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य	94.87600	47.43800	47.43800
12		बाइपास मोड़ नगर पंचायत, बड़हिया कार्यालय के निकट थाना होते हुए सरोज सिंह के घर होते हुए इन्दुपुर दूर्गा स्थान होते हुए चुहड़चक पुल तक नाला निर्माण कार्य।	86.45900	43.22950	43.22950
13	नगर पंचायत, बड़हिया	वार्ड सं०- 16 में नवनिर्मित नगर प्रशासनिक भवन होते हुए सीताराम के घर से भाया नगावती स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	54.20500	27.10250	27.10250
14		वार्ड सं०- 01 में एन०एच०- 80 जगदम्बा मील मोड़ से भाया कौशल बाबु के फुलवारी होते हुए सागर अमीन के बथान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	91.80100	45.90050	45.90050
15		कृष्णा चौक से जगदम्बा स्थान तक नाला के दोनों तरफ स्लेव का निर्माण कार्य।	48.27000	24.13500	24.13500
16	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 02 बंशी चाय दुकान से पश्चिम पप्पू साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	34.94400	17.47200	17.47200
17		वार्ड नं०- 01 काशीपुर चौक से पूरब पप्पू साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	23.31300	11.65650	11.65650
योग (ख)			877.08600	438.54300	438.54300
योग (क+ख)			1042.95000	521.47500	521.47500

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

- क्रमांक- 16 एवं 17 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा।
- आवंटित कुल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। क्रमांक- 01 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से राशि संबंधित जिला शहरी विकास

✓

अभिकरणों को हस्तांतरित कर देंगे। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त आवंटित राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹82.93200 लाख (बेरासी लाख तिरानवे हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- **48-2215021910102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

(ख) आवंटित राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 3 से 17 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹438.54300 लाख (चार करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार तीन सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

५

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-
- (i) क्रमांक- 16 एवं 17 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
- (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-07/2018 *08*

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-*27-09-18*

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-24/09/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹1042.95 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹1042.95 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड सं०- 02 में चौदनी चौक से अखेदकर पथ होते हुए भाया ओमप्रकाश आरा मिल राजेश्वर प्रसाद साह के मार्केट लक्ष्मी चौक होते हुए पूर्व मंत्री स्व० ब्रिज बिहारी प्रसाद गली मुख्य नाला तक नाला निर्माण कार्य।	27.53300	13.76650	13.76650
2		जेल चौक से मालीघाट प्राथमिक विद्यालय वाली सड़क तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138.33100	69.16550	69.16550
योग (क)			165.86400	82.93200	82.93200
3	नगर पंचायत, बखरी	बखरी राईस मिल्स से चन्द्रभागा नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	102.76000	51.38000	51.38000
4	नगर पंचायत सुगौली	नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 04 में समीर मियाँ के घर से हनुमान मंदिर होते हुए डा० कमलेश के घर तक नाला निर्माण कार्य।	31.37900	15.68950	15.68950
5		नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 06 में रेलवे स्टेशन गेट से हॉस्पिटल गेट तक नाला निर्माण कार्य।	16.83100	8.41550	8.41550
6		नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत वार्ड सं०- 10 में माई सीन मंदिर से बजरंग धाम चौक तक नाला निर्माण।	20.19500	10.09750	10.09750

7	नगर पंचायत, साहेबगंज	नगर पंचायत साहेबगंज अन्तर्गत वार्ड सं०-03 में सुनिल कुमार के घर से भाग्य नारायण राउत के घर होते हुए सुखनर मढ तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	20.02000	10.01000	10.01000
8		नगर पंचायत साहेबगंज अन्तर्गत वार्ड सं०-06 में माई स्थान से बौउली तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	43.79100	21.89550	21.89550
9	नगर पंचायत, कांटी	नगर पंचायत कांटी अन्तर्गत वार्ड सं०- 04 में रेलवे स्टेशन रोड से लेकर एन०एच० 28 होते हुए वार्ड 08 स्थित मन तक दोनों तरफ आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	163.55600	81.77800	81.77800
10	नगर पंचायत, मनेर	वार्ड सं०- 15 में बैंक ऑफ इंडिया से पोस्ट ऑफिस तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	44.68600	22.34300	22.34300
11	नगर पंचायत, सोनपुर	पी०एन०बी० बैंक से प्रो० वासकित सिंह के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य	94.87600	47.43800	47.43800
12		बाइपास मोड़ नगर पंचायत, बड़हिया कार्यालय के निकट थाना होते हुए सरोज सिंह के घर होते हुए इन्दुपुर दूर्गा स्थान होते हुए चुहड़चक पुल तक नाला निर्माण कार्य।	86.45900	43.22950	43.22950
13	नगर पंचायत, बड़हिया	वार्ड सं०- 16 में नवनिर्मित नगर प्रशासनिक भवन होते हुए सीताराम के घर से भाया नगावती स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	54.20500	27.10250	27.10250
14		वार्ड सं०- 01 में एन०एच०- 80 जगदम्बा मील मोड़ से भाया कौशल बाबु के फुलवारी होते हुए सागर अमीन के बथान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	91.80100	45.90050	45.90050
15		कृष्णा चौक से जगदम्बा स्थान तक नाला के दोनों तरफ स्लेव का निर्माण कार्य।	48.27000	24.13500	24.13500
16	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 02 बशी चाय दुकान से पश्चिम पप्पू साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	34.94400	17.47200	17.47200
17		वार्ड नं०- 01 काशीपुर चौक से पूरब पप्पू साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	23.31300	11.65650	11.65650
योग (ख)			877.08600	438.54300	438.54300
योग (क+ख)			1042.95000	521.47500	521.47500

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. क्रमांक- 16 एवं 17 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा।

3. स्वीकृत कुल ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। क्रमांक- 01 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से राशि संबंधित जिला शहरी विकास

26

अभिकरणों को हस्तांतरित कर देंगे। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 एवं 2 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹82.93200 लाख (बेरासी लाख तिरानवे हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- **48-2215021910102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत राशि ₹521.47500 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 3 से 17 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹438.54300 लाख (चार करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार तीन सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) क्रमांक- 16 एवं 17 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संयिका संख्या-2ब०/सड़क०-09-07/2018 के पृष्ठ सं०-.....19...../टि० पर दिनांक-26/09/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....20...../टि० पर दिनांक-26/09/2018 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-07/2018 64 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27/09/18
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।